सुलखान सिंह,
आई0पी0एस0

परिपत्र सं0:डीजी-25/2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक:लखनऊ:अगस्त 12, 2017

प्रिय महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनता की शिकायतों का सही व समयबद्ध निस्तारण नहीं हो पा रहा है तथा यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि थाने पर जाने पर उनके प्रार्थना पत्र नहीं लिये जा रहे हैं और यदि लिये भी जा रहे हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उच्चाधिकारियों द्वारा पूँछ-तॉछ करने पर थाने द्वारा शिकायतकर्ता के थाने पर न आने की बात कही जा रही है। थाने के आगन्तुक रजिस्टर में शिकायतकर्ता के थाने पर आने का इन्द्राज नहीं किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर शिकायतों का निस्तारण न होने के कारण जनता के लोग उच्चाधिकारियों एवं शासन के पास दौड़ लगा रहे हैं, जिससे जनता में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं बन पा रहा है तथा पुलिस अधिकारियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण भी नहीं हो पा रहा है।

2- अतः थाने पर आने वाले सभी आगन्तुकों का आगन्तुक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाए तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र को प्राप्त कर जन शिकायत रजिस्टर में इन्द्राज कर संलग्न प्रारूपानुसार उनकी प्राप्ति रसीद दी जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन प्रकरणों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट व एन0सी0आर0 लिखी जा रही है उनमें प्राप्ति रसीद दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना पत्रों का सिटीजन चार्टर में दिये गये समयावधि के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाये तथा क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक नियमित समीक्षा करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद में अपराध गोष्ठी के दौरान थाने पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा करें। इससे पुलिस के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों में उत्तरदायित्व बोध भी होगा।

3- प्राप्ति रसीद का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। इसको लेखन सामग्री के बजट से प्रिन्ट कराकर रिकार्ड कीपर के माध्यम से थानों को निर्गत किया जाए तथा इसकी समय--समय पर समीक्षा की जाए।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:संलग्नक की प्रति सहित
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु:-
1- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद

दिनांक ....

जनपद– ....

क्रम संख्या: ....

थाना: ....

(1) आवेदक का नाम व पता तथा मोबाइल नम्बरः ....

....

(2) आवेदन का संक्षिप्त विवरणः– ....

....

(3) जांचकर्ता अधि0 / कर्म0 का नाम, पदनाम व मोबाइल नम्बरः– ....

....

(4) थानाध्यक्ष का नाम व मोबाइल नम्बरः– ....

थाना की मुहर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ——————

नाम ——————

पदनाम ——————